

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण--
 - क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रपत्र 1 में।
 - ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न प्रपत्र 6 में।
 - ग) परियोजना की लागत रू0 1113.81 लाख
 - घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण (संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रपत्र-10 में)।
 - ङ) लागत लाभ विश्लेषण- लागू नहीं
 - च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है। निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं भविष्य में अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

कुल अपेक्षित भूमि में जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रेंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या शून्य।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) शून्य।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं) नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) संलग्नक प्रपत्र 29 में।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा संलग्न अनुसूची के अनुसार।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(टी.डी. काण्डपाल)
अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक

स्थान

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।)